

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर

क्रमांक : एफ 9 (4) (7) / छात्र / अं.ति. / सान्याअवि / 2014-15 /

38934-39035

जयपुर, दिनांक : 25/07/14

1. संस्था प्रधान (समस्त), राजकीय शिक्षण संस्थाएं, राजस्थान।
2. संस्था प्रधान (समस्त), स्वायत्तशासी एवं मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाएं, राजस्थान।


विषय :- वित्तीय वर्ष 2014-15 में उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु ऑन लाईन आवेदन पत्र आमंत्रित करने हेतु कार्यक्रम एवं संस्था प्रधानों द्वारा किये जाने वाले कार्यों संबंधी दिशा-निर्देश।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2014-15 के लिए बेवपोर्टल rajpms.nic.in पर प्रथम चरण (1 अगस्त से 31 अक्टूबर, 2014 तक) एवं द्वितीय चरण (1 जनवरी से 31 जनवरी, 2015 तक) में मान्यता प्राप्त/संबद्धता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं/पाठ्यक्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों द्वारा छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन पत्र ऑनलाइन पंजीकरण करने, आवेदन पत्र लॉक करने, हार्डकॉपी जमा कराने एवं शिक्षण संस्था द्वारा आवेदन पत्र लॉक कर जिला कार्यालय में ऑन लाईन फारवर्ड करने एवं अपनी अनुशंषा सहित आवेदन पत्र की हार्डकॉपी जिला कार्यालय में जमा कराने के लिए निम्नानुसार तिथियां निर्धारित की गई हैं। अतः राजकीय, निजी एवं स्वायत्तशासी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाएं निर्धारित तिथियों के अनुरूप उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र संबंधी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

क्र. सं.	विषय वस्तु	निर्धारित अधिकतम दिवस	प्रथम चरण	द्वितीय चरण
1.	उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन पंजीकरण, आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल प्रारंभ करना।		1 अगस्त, 2014	01 जनवरी, 2015
2.	उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन पंजीकरण, आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल बंद करना।		31 अक्टूबर, 2014	31 जनवरी, 2015
3.	आवेदक द्वारा ऑन लाइन पंजीकरण, आवेदन पत्र भरने एवं आवेदन पत्र लॉक करने की अंतिम तिथि	संस्था में प्रवेश के 5 दिवस में।	31 अक्टूबर, 2014	31 जनवरी, 2015
4.	आवेदक द्वारा ऑन लाइन आवेदन पत्र भरने के उपरान्त आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी के साथ चैकलिस्ट के अनुसार संलग्न आवश्यक दस्तावेज संस्था में जमा कराने की अंतिम तिथि।	5 दिवस	05 नवम्बर, 2014	5 फरवरी, 2015
5.	विद्यार्थियों द्वारा संस्था को प्राप्त समस्त ऑन लाइन आवेदन पत्रों की हार्ड कॉपी के साथ चैकलिस्ट के अनुसार संलग्न आवश्यक दस्तावेजों की जाँच उपरान्त संस्था प्रधान द्वारा आवेदन पत्र लॉक कर जिला कार्यालय में ऑन लाईन फारवर्ड करना एवं अपनी अनुशंषा सहित आवेदन पत्र की हार्डकॉपी जिला कार्यालय में जमा कराने की अंतिम तिथि।	5 दिवस	10 नवम्बर, 2014	10 फरवरी, 2015

शिक्षण संस्थाओं के लिए दिशा-निर्देश :-

1. राजकीय, निजी एवं स्वायत्तशासी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत विद्यार्थी ही ऑनलाईन आवेदन कर सकेंगे।
2. वर्ष 2013-14 के पोर्टल बन्द होने (दिनांक 20 जनवरी, 2014) के उपरान्त जिन विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम घोषित हुए हैं तथा शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश लिया है, ऐसे वंचित विद्यार्थी वर्ष 2014-15 के प्रथम चरण में आवेदन कर सकेंगे।
3. जिन विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम एवं प्रवेश प्रथम चरण की अन्तिम तिथि के पश्चात् घोषित होते हैं, ऐसे विद्यार्थी द्वितीय चरण में ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण कर सकेंगे।
4. आवेदनकर्ता विद्यार्थियों को संस्था में प्रवेश के 5 दिवस में (छात्रवृत्ति पोर्टल चालू होने की स्थिति में) 5 दिवस में उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन पंजीकरण कर आवेदन करना होगा तथा विद्यार्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के लॉक करने के उपरान्त चैकलिस्ट के अनुसार दस्तावेज संलग्न कर 5 दिवस में अनिवार्य रूप से हार्डकापी संबंधित शिक्षण संस्थान में जमा करवानी होगी।
5. आवेदन करते समय आवेदक अपने आवेदन पत्र में अपना स्वयं का बैंक खाता संख्या ही अंकित करें।
6. आवेदन द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण, आवेदन पत्र भरने, आवेदन पत्र लॉक करने एवं संस्था द्वारा जिला कार्यालय में ऑनलाइन फारवर्ड करने का कार्य निर्धारित अन्तिम तिथि (31 अक्टूबर, 2014 एवं 31 जनवरी, 2015) के पश्चात् नहीं किये जा सकेंगे।
7. उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए शिक्षण संस्थाओं को प्राप्त आवेदन पत्रों को संस्थान द्वारा अपने स्तर पर विस्तृत जांच उपरान्त अपूर्ण आवेदन पत्र विद्यार्थी को फारवर्ड किए जावे तथा अपात्र आवेदन पत्र संस्था के स्तर पर ही खारिज किये जावे।
8. शिक्षण संस्थाओं द्वारा छात्रवृत्ति योग्य अर्थात् पात्र विद्यार्थियों के आवेदन पत्र ही प्रत्येक 5 दिवस में ही संबंधित जिला कार्यालय को ऑनलाइन फारवर्ड किया जावे तथा हार्डकापी जमा करवायी जावे।
9. शिक्षण संस्था को प्राप्त आवेदन पत्रों को यदि संबंधित शिक्षण संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि प्रत्येक 5 दिवस में जिला कार्यालय को विस्तृत जांच उपरान्त छात्रवृत्ति योग्य अर्थात् पात्र विद्यार्थियों के आवेदन पत्र फारवर्ड नहीं किया जाता है तथा हार्डकापी जमा नहीं करवाई जाती है, तो ऐसे आवेदन पत्रों को निरस्त समझा जावेगा। देरी की वजह से आवेदन पत्र निरस्त होने की समस्त जिम्मेदारी संबंधित शिक्षण संस्था की होगी।
10. जिन शिक्षण संस्थाओं के संस्था प्रधानों द्वारा बिना पूर्ण जांच किये अपात्र/अपूर्ण आवेदन पत्र अपनी अनुशंसा सहित छात्रवृत्ति स्वीकृति हेतु जिला कार्यालय को ऑनलाइन फारवर्ड किये जाते हैं एवं हार्डकापी जमा करवाई जाती है तथा अपात्र विद्यार्थी को छात्रवृत्ति स्वीकृत हो जाती है तो संबंधित शिक्षण संस्थान के संस्था प्रधान का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए संबंधित शिक्षण संस्था एवं संस्था प्रधान के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं के तहत आपराधिक कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी तथा शिक्षण संस्थान को छात्रवृत्ति से ब्लैक लिस्टेड कर दिया जावेगा।
11. अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में निर्धारित प्राथमिकता क्रम 1 से 6 यथा बी.पी.एल., निःशक्त, विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता, विधवा के बच्चे, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला के बच्चे ही ऑनलाईन आवेदन करें। इस वर्ग के अन्य छात्र-छात्राओं द्वारा किये गये आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे।
12. आर्थिक पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना राज्य सरकार के समीक्षाधीन होने के कारण वर्तमान में छात्र-छात्राओं द्वारा आवेदन नहीं किये जावें। इस वर्ग के छात्र-छात्राओं द्वारा किये गये आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे। राज्य सरकार के निर्णयानुसार इसके लिए अलग से सूचित किया जावेगा।
13. विभाग/जिला कलक्टर/न्यायालय/संबंधित मान्यता प्रदत्त संस्था द्वारा ब्लैक लिस्टेड शिक्षण संस्थाओं में प्रवेशित विद्यार्थी ऑनलाइन पंजीकरण नहीं कर सकेंगे। किसी ब्लैक लिस्टेड शिक्षण संस्था के छात्र-छात्राओं द्वारा ऑन लाईन आवेदन किये जाने की स्थिति में संबंधित शिक्षण संस्था के संस्था प्रधान द्वारा ऑन लाईन आवेदन पत्र स्वीकृतकर्ता अधिकारियों को ऑन लाईन फारवर्ड नहीं किये जावें तथा ऑन लाईन आवेदन पत्रों की हार्ड कापी जिला कार्यालयों में जमा नहीं करवाई जावे।
14. राजकीय एवं निजी शिक्षण संस्थाओं में उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन पत्र ऑनलाईन भरने एवं विद्यार्थियों की समस्याओं के निराकरण हेतु सभी शिक्षण संस्थाओं में हेल्प डेस्क का गठन किया जावे।



25/7/14
(नवीन महाजन)

आयुक्त एवं शासन सचिव

क्रमांक : एफ 9 (4) (7) / छात्र / अं.ति. / सान्याअवि / 2014-15 / 39036-14 जयपुर, दिनांक 25/07/14

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सचिव (पीसी), मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
 2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर
 3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर
 4. निजी सचिव, आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर
 5. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक (अ.जा.ज.जा. कल्याण), सान्याअवि, जयपुर।
 6. संयुक्त निदेशक, देवनारायण योजना आयुक्तालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर
 7. निदेशक, कॉलेज शिक्षा, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर
 8. निदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग, जोधपुर
 9. निदेशक (प्रशिक्षण), प्राविधिक शिक्षा विभाग, जोधपुर
 10. अतिरिक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
- को भेजकर निवेदन है, कि आपके अधीनस्थ समस्त शिक्षण संस्थाओं के संस्था प्रधानों को उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का श्रम करें।
11. जिला कलेक्टर (समस्त) को भेजकर निवेदन है, कि आपके जिले की समस्त राजकीय, स्वायत्तशासी एवं मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के संस्था प्रधानों को उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करें एवं उपरोक्त पत्र की प्रतियां कलक्ट्रेट, जिला परिषद, नगर परिषद, नगर पालिका, उपखण्ड अधिकारी, तहसील एवं पंचायत समितियों के नोटिस बोर्ड एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सूचनार्थ उपलब्ध कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का श्रम करावें।
 12. मुख्य कार्यकारी अधिकारी / अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (समस्त) को भेजकर निवेदन है, कि जिला परिषद, पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों की बैठक में ऑन लाईन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र भरने के कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार करवाने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का श्रम करें।
 13. उपनिदेशक / सहायक निदेशक / जिला परिधीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (समस्त) को भेजकर लेख है, कि अपने स्तर से आपके जिले के समस्त शिक्षण संस्थाओं में उपरोक्त पत्र की प्रतियां उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें एवं दिये गये निर्देशानुसार शिक्षण संस्थाओं से कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करें तथा अपने स्तर से कार्यक्रम का व्यापक प्रचार प्रसार किया जावे।
 14. सहायक निदेशक (प्रचार), मुख्यालय को समाचार पत्रों में प्रचार-प्रसार हेतु।
 15. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर / प्रोग्रामर, मुख्यावास को भेजकर लेख है, कि उपरोक्त कार्यक्रम को विभागीय वेबसाइट एवं छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपलोड करवाना एवं कार्यक्रम की हेडलाइन देना तथा उपरोक्त अधिकारियों को जरिये ई-मेल सूचित करवाया जाना सुनिश्चित करे।


25.07.2014
(डा. हरसहाय मीणा)
अतिरिक्त निदेशक
(अनु. जाति / जनजाति)